

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

33 / 2020

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा निवासी डोला का खेडा तहसील मालपुरा
जिला टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 9-11-2020



प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1 माननीय सर्वोच्च न्यायलय भारत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 सिविल अपील नं. 1132/2011 जयपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब की पालना में एवं राज्य सरकार द्वारा पारित परिपत्र दिनांक 25.4.2011 एवं राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 8.4.2015 क.स. (विविध) राज/3/14 के द्वारा चरागाह तालाब इत्यादि पर किये गये अवांटन चाहे व्यवसायिक हो या आवासीय एवं चाहे खनन हेतु को सभी प्रकार के अवांटनों को अवैध माना है एवं भविष्य में अवांटन पर रोक लगाई गई है उक्त आदेश निर्देश निर्णय परिपत्र इत्यादि की पालना में ग्राम डोला का खेडा तहसील मालपुरा जिला टोंक में चरागाह भूमि में चल रहे खनन को रोकन व एन.ओ. सी. निरस्त करने बाबत जारी आदेश की प्रति एवं इसके बाद भी वर्तमान में चरागाह भूमि में स्वीकृत पट्टा हस्तान्तरण किया सकता है या नही उक्त आदेशों की पालना में आपके द्वारा जारी आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें

2 ग्राम डोला का खेडा तहसील मालपुरा में गोचर/ चरागाह भूमि पर जारी खनन अनुज्ञा पत्र संख्या एम.एल. 15/04 एवं इसी आशय की एनओसी इत्यादि जो चरागाह पर है के विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.1.2015 राजस्व विभाग प.3(विविध) राज/3/14 एवं परिपत्र दिनांक 25.4.2011 जो राज्य सरकार द्वारा पारित है कि पालना में कहां कहां चरागाह चल रहे खनन पर कार्यवाही की है उस कार्यवाही एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

3 उक्त दोनों बिन्दुओं में वर्णित आदेशों इत्यादि की पालना में ग्राम डोला का खेडा ग्राम पंचायत धोली, तहसील मालपुरा जिला टोंक में चरागाह/गोचर खसरा नम्बर 1239 व 1240 एम.एल. नं. 15/04 में खनन कार्य चल रहा है उसके सम्बन्ध में आप द्वारा कार्य रोकने एवं अनुज्ञा व एन ओ सी को अवैध घोषित करने के सम्बन्ध में जो



कार्यवाही की गयी है एवं आदेश दिया गया है तो इसकी भी प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं की गयी है तो कारण सहित सूचना उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयवधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 2785 दिनांक 20.10.2020 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता खान एवं भू- विज्ञान विभाग को अन्तरित कर आवेदक को सूचित कर दिया गया था। अपीलान्त ने अपनी अपील के साथ तहसीलदार मालपुरा के पत्र क्रमांक 233 दिनांक 11-9-2020 की प्रति संलग्न की है। पत्रावली/जवाब का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड जो कार्यालय में उपलब्ध हो वही दिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में आवेदक को जवाब भिजवाया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोक